



2026:AHC-LKO:3934-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 8034/2021

राम खेलावन

...याचिकाकर्ताकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व, लखनऊ एवं अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – अध्यात्म सिंह

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. यह जनहित याचिका वर्ष 2021 में निम्नलिखित मुख्य अनुतोषों का अनुरोध करते हुए दायर की गई है:-

"I. परमादेश के रूप में रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए विरोधी पक्षकारों को तहसील- बांगरमऊ, जिला उन्नाव और तहसील- बिल्हौर, जिला कानपुर नगर के बीच की सीमा रेखा को स्पष्ट रूप से सीमांकित करने का निर्देश दिया जाए जिसमें तहसील- बांगरमऊ, जिला- उन्नाव के गांव जाजामाओ अहतमाली, कटरी राधन, कटरी प्यारेपुर, कटरी पंका, कटरी तोरना इस्तमुरारी भी सम्मिलित हों।

II. परमादेश के रूप में रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए विरोधी पक्षकारों को तहसील- बांगरमऊ, जिला- उन्नाव के ग्रामों, जाजामाओ अहतमाली, कटरी राधन, कटरी प्यारेपुर, कटरी पंका, कटरी तोरना इस्तमुरारी की कृषि भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया जाए, जो गंगा के उस पार स्थित है।"

2. उपजिलाधिकारी, बांगरमऊ, उन्नाव/ विरोधी पक्षकार संख्या 3 ने इस याचिका के उत्तर में एक शपथपत्र दाखिल किया है। अनुलग्नक सी.ए.-1 फर्द मौका की प्रति है। उक्त शपथपत्र का पैरा-2 इस प्रकार है:-

रिट याचिका के प्रस्तरों में उल्लिखित ग्रामों की जाँच, संयुक्त राजस्व दल (तहसील - बिल्हौर, जिला - कानपुर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नगर और तहसील – बंगरमऊ, जिला उन्नाव) द्वारा पुलिसकर्मियों और स्थानीय ग्रामीणों की उपस्थिति में 22, 23 और 24 जुलाई 2021 को की गई थी। प्रश्नगत भूमि की माप के बाद अवैध अतिक्रमण हटा दिया गया था। फर्द मौका की प्रति और घटनास्थल के चित्र को इस शपथपत्र के अनुलग्नक संख्या सी.ए.-1 के रूप में संलग्न किया जा रहा है। माप के बाद स्तम्भ लगाकर ग्रामों की सीमाएं निश्चित कर दी गई हैं।

3. पूछे जाने पर, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि निस्संदेह, भूमि का सीमांकन स्तम्भों द्वारा किया गया है, लेकिन अनुतोष संख्या 2 पर अभी भी विचार किया जाना बाकी है।

4. हमारा मत है कि जहाँ तक कृषि भूमि से कथित अवैध अतिक्रमण हटाने का मामला है, यह तथ्यों से संबंधित है और रिट न्यायालय ऐसी जाँच के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए, यदि पीड़ित व्यक्तियों की भूमि पर अवैध अतिक्रमण हुआ है, तो वे अपनी शिकायतों के निवारण के लिए विधि में विहित उपयुक्त कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए स्वतंत्र हैं।

5. तदनुसार, जनहित याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

19 जनवरी, 2026

अनुज सिंह